न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :– 122 / 2019

वादी

हरीराम उर्फ हरजीराम के कायम मुकाम

1. कुमाराम पुत्र हरीराम
2. रामलाल पुत्र हरीराम जातियान जाट निवासीगण रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. माधवराम पुत्र किशनाराम
2. गोरधनराम पुत्र पुरखाराम
3. छोगाराम पुत्र पुरखाराम के कायम मुकाम

3/1 मोटाराम पुत्र छोगाराम
3/2 रामदयाल पुत्र छोगाराम
3/3 देवाराम पुत्र छोगाराम
3/4 श्रीमति छगुडी पत्नी छोगाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम रामपुरिया तहसील बिलाडा
3/5 श्रीमति मीरादेवी पुत्री छोगाराम पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी खारी खुर्द तहसील जोधपुर राजस्थान
3/6 श्रीमति संतोषदेवी पुत्री छोगाराम पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी आकथली तहसील व जिला जोधपुर

4. कमलादेवी पुत्री पुरखाराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी नायावास तहसील सोजत सिटी जिला पाली राज.
5. खुमाराम पुत्र सुजाराम
6. नाथी पत्नी गोकलराम
7. शंकरलाल पुत्र गोकलराम
8. मुन्नाराम पुत्र सूजाराम
9. ओमाराम पुत्र लक्ष्मणराम
10. भूराराम पुत्र लक्ष्मणराम
11. गोविन्दराम पुत्र लक्ष्मणराम
12. रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मणराम
13. गीता पत्नी लक्ष्मणराम जातियान जाट निवासीगण रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान
14. मंजू पुत्री लक्ष्मणराम पत्नी सोहनराम जाति जाट निवासी बोयल तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर राजस्थान
15. सीता पुत्री लक्ष्मणराम पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी भाणिया तहसील सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट
बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपस्थितिः— वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या—1 व 2 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी सं.3/1 से 3/4, 4, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी सं. 3/5 से 3/6, 5, 7, 8, 9 से 15 की ओर श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट।
प्रतिवादी सख्या—16 सरकारी पेरोकार ।

निर्णय **दिनांक :—** 23/07/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा (1.3349 हैक्टयर) आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 2/9 वां हिस्सा वादी का तथा 2/9 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 2/27 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 2/27 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का तथा 2/27 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 का तथा 1/24वा हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 का तथा 1/84वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 का तथा 1/84 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 का तथा 1/84 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 का तथा 1/84 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 12 का तथा 1/84 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 13 का तथा 1/84 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 14 का तथा 1/84 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 15 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। ग्राम रामपुरियान भाटियान तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी पूर्व में हरीराम, पुरखाराम, माधवराम पिसरान किशनाराम का 2/3 हिस्सा तथा सूजाराम पुत्र नैनाराम का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। जिसमें से 2/3 हिस्से के अनुसार पुरखाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके पुत्र सुमाराम, गोकलराम,मुन्नाराम,लक्ष्मणराम का देहान्त हो चुका है। गोकलराम के उतराधिकारी उसकी पत्नी नाथीदेवी तथा उसका पुत्र शंकरलाल है एवं लक्ष्मणराम के उतराधिकारी उसके चार पुत्र ओमाराम,भूराराम,गोविन्दराम,रामचन्द्र तथा पत्नी गीता तथा दो पुत्रियां मंजू, सीता है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी सं. 1 से 15 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है। इस कारण वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 15 को

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 15 इसके लिए तैयार नहीं हुए तो वादी आने 2/9 हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। प्रतिवादी सं. 1 से 15 वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अडचने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से खातेदारों में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 से 15 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है।

अन्त में दावा पेश कर वादी ने निवेदन किया कि ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा (यानि 1.3349 हैक्टयर) का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाडा किया जाकर वादी के 2/9 वां हिस्से की भूमि का अलग से खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें। तथा प्रतिवादी सं. 1 से 15 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट व हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील द्वारा दिनांक 03.08.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर संशोधित वाद शीर्षक पत्रावली मे शामिल किया गया। वादी का दावा दिनांक 02.08.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा (यानि 1.3349 हैक्टयर) का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी के 2/9 वां हिस्सा की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	हरीराम उर्फ हरजीराम के कायम मुकाम–कुमाराम पुत्र हरिराम 1/2 रामलाल पुत्र हरिराम 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	46	0.2966
2	माधवराम पुत्र किशनाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	46	0.2966

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

3	कमलादेवी पुत्री पुरखाराम 1/3 हि., गोरधनराम पुत्र पुरखाराम 1/3 हि., छोगाराम के कायम मुकाम–(छगुदेवी पत्नी छोगाराम 1/18 हि., देवाराम पुत्र छोगाराम 1/18 हि., मीरा पुत्री छोगाराम 1/18 हि., रामदयाल पुत्र छोगाराम 1/18 हि., संतोष पुत्री छोगाराम 1/18 हि., मोटाराम पुत्र छोगाराम 1/18 हि.) जाति जाट सा.देह खातेदार	46	0.2966
4.	खुमाराम पुत्र सूजाराम हि. 1/4, मुनाराम पुत्र सूजाराम हि. 1/4, लक्ष्मणराम पुत्र सूजाराम 1/4 हि., शंकरलाल पुत्र गोकलराम 1/8 हि., नाथी पत्नी गोकलराम 1/8 हि. सा.देह खातेदार	46	0.4451

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/07/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी

हरीराम उर्फ हरजीराम के कायम मुकाम

1. कुमाराम पुत्र हरीराम
2. रामलाल पुत्र हरीराम जातियान जाट निवासीगण रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. माधवराम पुत्र किशनाराम
2. गोरधनराम पुत्र पुरखाराम
3. छोगाराम पुत्र पुरखाराम के कायम मुकाम

3/1 मोटाराम पुत्र छोगाराम
3/2 रामदयाल पुत्र छोगाराम
3/3 देवाराम पुत्र छोगाराम
3/4 श्रीमति छगुडी पत्नी छोगाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम रामपुरिया तहसील बिलाडा
3/5 श्रीमति मीरादेवी पुत्री छोगाराम पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी खारी खुर्द तहसील जोधपुर राजस्थान
3/6 श्रीमति संतोषदेवी पुत्री छोगाराम पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी आकथली तहसील व जिला जोधपुर

4. कमलादेवी पुत्री पुरखाराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी नायावास तहसील सोजत सिटी जिला पाली राज.
5. खुमाराम पुत्र सुजाराम
6. नाथी पत्नी गोकलराम
7. शंकरलाल पुत्र गोकलराम
8. मुन्नाराम पुत्र सूजाराम
9. ओमाराम पुत्र लक्ष्मणराम
10. भूराराम पुत्र लक्ष्मणराम
11. गोविन्दराम पुत्र लक्ष्मणराम
12. रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मणराम
13. गीता पत्नी लक्ष्मणराम जातियान जाट निवासीगण रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान
14. मंजू पुत्री लक्ष्मणराम पत्नी सोहनराम जाति जाट निवासी बोयल तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर राजस्थान
15. सीता पुत्री लक्ष्मणराम पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी भाणिया तहसील सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट
राजस्व वाद संख्या :– 121/2019

निर्णय **दिनांक :–** 23/07/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं0 3/1 से 3/4, 4, 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 3/5 से 3/6, 5, 7 से 15

की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 16 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा (यानि 1.3349 हैक्टयर) के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 20.05.2024 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

23/07/24

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा